



Neutral Citation No.- 2026:AHC:15615

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-1947 वर्ष 2026

देवीराम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: त्रिपुरारी पाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी पाल, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुभाष सिंह के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के मुकदमा अपराध संख्या-217 में धारा 302, 201 भ०द०वि०, थाना-मालपुरा, जिला: आगरा के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चार महीने की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यहां तक कि धारा 156(3) द०प्र०स० के तहत आवेदन भी दो महीने से अधिक की देरी के बाद स्थानांतरित किया गया था।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक को केवल संदेह के आधार पर मामले में फंसाया गया है। इस प्रकार, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 15.9.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

7. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दोहराया गया है।

9. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

10. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति सामने नहीं ला सके जिसके कारण आवेदक को जमानत देने से इनकार किया जा सके।



11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी के गठन में चार महीने की अत्यधिक देरी को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को केवल संदेह के आधार पर मामले में नामित किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

12. आवेदक- **देवीराम**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

13. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)